न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 190/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/313

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार कल्याणपुर		रामचन्द्र पुत्र गोरखाराम वगैरा जाति विश्नोई निवासी परालिया धामट तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 130,131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.प्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार उपस्थित।

2.विप्रार्थी अनुपस्थित।

:आदेश:

दिनांक 02/8/2024

यतः तहसीलदार कल्याणपुर ने ग्राम परालिया धामट तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 100,102,110,192,103,112 भूमि में से प्रस्तावित रकबा वर्षो से मौके पर चलायमान रास्तें को भू अभिलेख में सार्वजनिक रास्ता अंकित करने का निवेदन किया गया।

अतः राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 58,59,60 एवं 86 के प्रावधानुसार एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत एवं राजस्व सरकार की अधिसूचना क्रमांकः राजस्व (ग्रुप्र–6)/विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक–प.3 (2) राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.5.2016 तथा परिपत्र क्रमांकःप.3(17)राज–06/03 पार्ट जयपुर दिनांक 24.12.2014 एवं परिपत्र क्रमांकःप.3(17)राज–6/2021 पार्ट/91 दिनांक 30.9.2021 की अनुपालना में अधोलिखित खसरान के खातेदार की सहमति/असहमति के आधार पर निम्नानुसार आदेश दिए जाते हैः–

1.ग्राम परालिया धामट पटवार मण्डल मूलकी ढाणी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 100 के खातेदार रामचन्द्र पुत्र गोरखाराम व वरजू पत्नी वरीगाराम,खसरा संख्या 110 के खातेदार नगाराम,खसरा संख्या 192 के खातेदार गोली पत्नी धनाराम,रूगनाथ पुत्र मंगलाराम व शान्ति पत्नी हरलाल व खसरा संख्या 103 व 112 के खातेदार धनाराम, मोहनलाल, राधादेवी, लिखमाराम, सोहनलाल व हीरादेवी पत्नी जोधाराम द्वारा संलग्न संलग्नक ब्लू लाल में दर्शित रास्ते में काम आ रही भूमि को राजहित में समर्पण करने की सहमति के आधार पर राजस्व (ग्रुप्र–6)विभाग के परिपत्र क्रमांकःप.3(17)राज–6/2021 पार्ट/91 दिनांक 30.9.2021 के बिन्दु संख्या 4(1)में विहित प्रावधान के अनुसरण में सारणी के ख भाग के कॉलम संख्या (07) में अंकित रकबा को भूमि खातेदारी आराजी में से कम करते हुए सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ता धोषित करते हुए तदनुसार भू–अभिलेख में इन्द्राज एवं तरमीम किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:21:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

2. ग्राम परालिया धामट पटवार मण्डल मूलकी ढाणी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 102 के समस्त खातेदार व खसरा संख्या 110 के खातेदार खेताराम पुत्र भागचन्द,खसरा संख्या 192 के खातेदार रामचन्द्र पुत्र नवलाराम एवं खसरा संख्या 103 व 112 के खातेदार जगदीशकुमार, मनोहरलाल,राजेन्द्र,विनीता,विनोदकुमार,सजनोदेवी पत्नी गोपाराम द्वारा राजहित में समर्पण करने से मना किए जाने के कारण राजस्व(ग्रुप–6)विभाग के परिपत्र क्रमांकःप.3(17)राज–6/2021 पार्ट/91 दिनांक 30.9.2021 के बिन्दु संख्या 4(2)में विहित प्रावधान के अनुसरण में संलग्न नक्शानुसार रास्ते में काम आ रही भूमि को सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने एवं कॉलम संख्या 07 में वर्णित रकबा खातेदारी में ही दर्ज रखने के आदेश प्रदान किए जाते हैः–

वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि (क)				नवीन रास्ते हुए दर्ज प्रविष्टि (ख)				वि.वि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र. स.	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा (हैक्ट.)	किस्म भूमि	खसरा संख्या	रकबा (हैक्ट.)	किस्म भूमि	बरंग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	126	100	8.6522	बा.दो.	100	0.2428	गै.मु. रास्ता	लाल
2	43	102	9.6396	बा.दो.	102	0.1942	गै.मु. रास्ता	लाल
3	37	110	4.2006	बा.दो.	110	0.1456	गै.मु. रास्ता	लाल
4	218	192	10.7808	बा.दो.	192	0.1780	गै.मु. रास्ता	लाल
5	146	103	0.4532	बा.दो.	103	0.0242	गै.मु. रास्ता	लाल
6	146	112	4.0873	बा.दो.	112	0.0809	गै.मु. रास्ता	लाल

तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित कर मय रिकॉर्ड की प्रति सहित पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:11:19 IST
Reason: SelfAttested

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 02.8.2024 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा